केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली–110 067

CICOM/A/P/20/00069
CICOM/R/P/20/00244

अपीलकर्ता का नाम : **डॉ0 ब्रह्म देव**
जी–11, सप्तऋषि अपार्टमेंट,
आवास विकास, आगरा,
उत्तर प्रदेश। पिन–282 003

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	25.05.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	22.06.2020 एवं 03.07.2020
4.	सीपीआईओ का नाम	श्री सी0 विनोद कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई स्कंध, सीआईसी
3.	प्रथम अपील की तिथि	20.07.2020
5	प्रथम अपीलीय आदेश की तिथि	03.09.2020

संक्षिप्त तथ्य :

1. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से दिनांक 11.05.2020 को प्रेषित अपने पत्र तथा इससे संबंधित दिनांक 18.05.2020 एवं 22.05.2020 के दो अनुस्मारकों, जो मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का को संबोधित एवं प्रेषित किए गए थे, पर की गयी कार्रवाई की सूचना की मांग के साथ–साथ केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रपत्र की प्राप्ति के पश्चात इसकी सुनवाई निर्धारित किये जाने की संभावित अवधि और वरिष्ठ नागरिकों के द्वितीय अपीलों की सुनवाई बगैर क्रम के किए जाने संबंधी प्रावधानों की सूचना की मांग की थी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

2. प्रार्थी के प्रस्तुत आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना के संदर्भ में अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) श्री सी0 विनोद बाबू ने दिनांक 22.06.2020 के अपने पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को यह सूचित किया कि "कथित पत्र इस तिथि तक अनुभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए आरटीआई में मांगी गई सूचना प्रदान करना संभव नहीं है।" तदनन्तर, श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध ने दिनांक 03.07.2020 के अपने पत्र के माध्यम से प्रार्थी के आवेदन के बिंदु संख्या 2 एवं 3 की सूचना प्रेषित की, जिसके अंतर्गत बिंदु संख्या 2 की सूचना के संदर्भ में उन्हें यह सूचित किया गया कि आयोग में अपीलों की सुनवाई क्रमानुसार ही की जाती है तथा सुनवाई की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा नोटिस के माध्यम से इसकी सूचना प्रेषित की जाती है। आवेदन के बिंदु संख्या 3 की सूचना के संदर्भ में प्रार्थी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर विचरोपरांत आयोग बगैर क्रम के अपीलों की सुनवाई करता है।

प्रथम अपील का आधार :

3. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से यह अभियोग लगाया है कि उनके आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना अभी तक प्रदान नहीं की गयी है तथा आवेदन के बिंदु संख्या 2 एवं 3 के अंतर्गत जानबूझकर गलत सूचना प्रदान की गयी है तथा यह भ्रमित करने वाली है।

आदेश :

4. आरटीआई आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित जवाब और प्रथम अपील का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना के संदर्भ में प्रेषित जवाब अपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि इससे यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी के दिनांक 11.05.2020 को प्रेषित पत्र तथा इससे संबंधित दिनांक 18.05.2020 एवं 22.05.2020 के दो अनुस्मारक क्या आयोग में प्राप्त हुए हैं। यदि ये आयोग में प्राप्त हुए हैं, तो इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की गयी है। अतः आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध श्री राम कुमार को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर प्रार्थी के दिनांक 18.05.2020 के पत्र पर की गयी कार्रवाई के संदर्भ में संबंधित अनुभाग/रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त कर प्रार्थी को प्रेषित करें।

जहां तक आवेदन के बिंदु संख्या 2 एवं 3 से संबंधित सूचना का प्रश्न है, यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संदर्भ में सुनवाई हेतु कोई निर्धारित समय–सीमा नहीं है। पंजीकृत द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों को प्रथम आगत प्रथम निस्तारण के आधार पर क्रमिक रूप से निस्तारित किया जाता है। इसी प्रकार जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता से प्राप्त अनुरोध पर विचारोपरांत बगैर क्रम के सुनवाई निर्धारित की जा सकती है। अतः इस संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक है तथा प्रस्तुत संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी के हस्तक्षेप की आवाश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध, प्रार्थी यदि चाहें, प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं।

दिनांक – 03 सितम्बर, 2020

मीना शर्मा 03/09/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।

04/09/20

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
04 SEP 2020
D. No.........
Initials.........